रजि. सं. डी. एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.-33002/99

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80] दिल्ली, मंगलवार, मई 8, 2007/वैशाख 18, 1929 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 30
No. 80] DELHI, TUESDAY, MAY 8, 2007/VAISAKHA 18, 1929 [N.C.T.D. No. 30

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय

अधिसूचना

दिल्ली, 8 मई, 2007

सं. 117/नियम/डी. एच. सी.—सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 की उप-धारा (1) सपठित धारा 2 (ई) (iii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के (सूचना का अधिकार) नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं जो कि दिल्ली राजपत्र, असाधारण भाग-IV, सं. 131 (एन. सी. टी. डी. सं. 109) दिनांक 11, अगस्त 2006 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 180/नियम/डी. एच. सी. दिनांक 11 अगस्त, 2006 द्वारा अधिसूचित किये गये थे :—

संशोधन

वर्तमान नियम 4(i) के स्थान पर निम्नलिखित नियम 4 (i) प्रतिस्थापित किया जायेगा :

"4. **अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र का निपटान**—(i) यदि आवेदित सूचना अधिकृत व्यक्ति के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है, तो वह प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि से जितना शीघ्र व्यवहार्य हो, अधिमान्यतः 15 दिनों के भीतर, तथा किसी भी स्थिति में 30 दिनों के बाद नहीं, प्रार्थना पत्र को सम्बन्धित पी. आई. ओ. को अग्रेषित करेगा।"

वर्तमान नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 10 प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"10. **आवेदन शुल्क का अधिरोपण.**—(i) अधिकृत व्यक्ति निम्नलिखित दरों से शुल्क अधिरोपित करेगा, यथा :—

(क) आवेदन शुल्क :—

(i) सूचना जो कि उपरोक्त नियम 4 (iv) से संबंधित नहीं है ।	50 रुपये प्रति आवेदन पत्र।
(ii) उपरोक्त (i) के अतिरिक्त सूचना ।	50 रुपये प्रति आवेदन पत्र।

(ख) अन्य सूचना :—

क्रम सं.	सूचना का विवरण	शुल्क रुपये में
1.	जहाँ सूचना प्रकाशन समूल्य के रूप में उपलब्ध है।	यथा नियत मूल्य।
2.	प्रकाशन समूल्य के अतिरिक्त सूचना हेतु।	5 रुपये प्रति पृष्ठ। अविलम्ब शुल्क 10 रुपये प्रति पृष्ठ।

(ii) अपीलीय प्राधिकारी 50 रुपये प्रति अपील, शुल्क अधिरोपित करेगा।"

न्यायालय के आदेशानुसार,

अजित भारिहोक, महानिबन्धक

No. F. 10(43)/Fin.(E-I)/2001-02/dsfte/332.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-section (1) of the Section 7 of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 (Delhi Act 10 of 1996), and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Govenor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Arvind Kumar, as the Assistant Luxury Tax Officer, to assist the Commissioner of Luxury Tax, in the discharge of his functions under the aforesaid Act in the National Capital Territory of Delhi, till such time as he holds the said post;

No. F. 10(43)/Fin.(E-I)/2001-02/(ii).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 3 of the Delhi Entertainment and Betting Tax Act, 1996 (Delhi Act 8 of 1997), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Arvind Kumar, as the Assistant Entertainment and Betting Tax Officer, to assist the Commissioner of Excise, Entertainment, Betting Tax and Luxury Tax, Govt. of NCT of Delhi in the discharge of his functions under the aforesaid Act in the National Capital Territory of Delhi, till such time as he holds the said post.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi,

AJAY KUMAR GARG, Dy. Secy.

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 अप्रैल, 2007

सं. एफ. 7(37)/दिविविआ/2006-07.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 87 के उपबंधों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (दिविविआ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए "राज्य सलाहकार समिति" का गठन करता है उसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:—

क. अध्यक्ष, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग — पदेन अध्यक्ष

ख. सदस्य, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग — पदेन सदस्य

ग. सचिव सह-आयुक्त, खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार — पदेन सदस्य

घ. डॉ. जी. सी. दत्ता राय, वरिष्ठ प्रबंधक, पी. एच. डी. चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री — सदस्य

ङ. श्री सतीश कुमार, निदेशक डी. एम. आर. सी. — सदस्य

च. डॉ. एम. एम. रहमान, वरिष्ठ अध्येता, वी. के. गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट — सदस्य

छ. प्रो. सुरेन्द्र प्रसाद, निदेशक, आई. आई. टी., दिल्ली — सदस्य

ज. श्री वी. पी. पोरुलियाल, निदेशक (कार्य), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद — सदस्य

झ. श्री सुखवीर सिंह, उप महानिदेशक (पीपी एंड सी), भारतीय मानक ब्यूरो — सदस्य

ञ. श्री सतीश सब्बरवाल, ऊर्जा अर्थशास्त्री, ब्यूरो ऑफ इनर्जी एफिसिएंसी — सदस्य

ट. श्री सचेतन गहरत, प्रजा फाउंडेशन, एन जी ओ — सदस्य।

2. यदि रिक्ति किसी सदस्य के उसके संगठन को छोड़ने के कारण होती है तो वह रिक्ति अपने-अपने संगठन के प्रमुख द्वारा नामनिर्दिष्ट उसके पदोत्तरवर्ती द्वारा भरी जाएगी।

3. राज्य सलाहकार समिति के उद्देश्य निम्नलिखित विषयों पर आयोग को सलाह देने होंगे, अर्थात्:—

क. नीति संबंधी मुख्य प्रश्न;

ख. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की क्वालिटी, निरतरता और विस्तार से संबंधित विषय;

ग. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा अपेक्षाओं का अनुपालन;

घ. उपभोक्ता हित का संरक्षण; और

ङ. विद्युत प्रदाय और उपयोगिताओं द्वारा निष्पादन के समग्र मानदंड।

4. राज्य सलाहकार समिति में सम्मिलित संगठनों के अतिरिक्त, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग विशेष आमंत्रिती के रूप में राज्य सलाहाकार समिति की किसी बैठक में किसी अन्य संगठन/विशेषज्ञ का चयन कर सकेगा।

5. राज्य सलाहकार समिति की बैठक दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा तब बुलाई जाएगी जब उपरोक्त पैरा 3 में सूचीबद्ध विषयों पर समिति की सलाह आवश्यक हो।

सोमित दास गुप्ता, सचिव

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 30th April, 2007

No. F.7(37)/DERC/2006-07.—In exercise of the provisions of Section 87 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) hereby constitutes the "State Advisory Committee" for National Capital Territory of Delhi, consisting of following members :—

a. Chairperson, Delhi Electricity Regulatory Commission — Ex-Officio Chairman

b. Members, Delhi Electricity Regulatory Commission — Ex-Officio Members

2346 DG/07-2

c. Secretary-cum-Commissioner, Department of Food Supplies and Consumer Affairs, Government of NCT of Delhi — Ex-Officio Members

d. Dr. G. C. Datta Roy, Senior Manager, PHD, Chamber of Commerce and Industry — Member

e. Sh. Satish Kumar, Director, DMRC — Member

f. Dr. M. M. Rehman, Sr. Fellow, V. K. Giri National Labour Institute — Member

g. Prof. Surendra Prasad, Director IIT, Delhi — Member

h. Sh. V. P. Kothiyal, Director (Works) Indian Council of Agricultural Research — Member

i. Sh. Sukh Bir Singh, Dy. Director General (PP&C), Bureau of Indian Standards (BIS) — Member

j. Sh. Satish Sabharwal, Energy Economist, Bureau of Energy Efficiency (BEE). — Member

k. Sh. Sachetan Gharat, Praja Foundation, NGO — Member.

2. The vacancy that would arise on account of any member leaving his organization would be filled up by his successor, nominated by the Head of respective organization.

3. The objects of State Advisory Committee are to advise the Commission on the following points, namely :—

a. major questions of policy ;

b. matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees ;

c. compliance by licensees with the conditions and requirements of their licence ;

d. protection of consumer interest ; and

e. electricity supply and overall standards of performance by utilities.

4. In addition to the organizations included in the State Advisory Committee, DERC may co-opt any other organization/expert on any of the meetings of the State Advisory Committee, as a special invited.

5. The meeting of the Sate Advisory Committee shall be convened by the DERC as and when the advice of the Committee is solicited on the issues listed at para 3 above.

SOMIT DASGUPTA, Secy.

सामान्य प्रशासन विभाग

(समन्वय शाखा)

अधिसूचनाएं

दिल्ली 8 मई, 2007

सं. फा. 32/9/2007-सा. प्र वि./समन्वय/1712-1745.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 28-6-1973 की अधिसूचना संख्या यू. 11030/2/73-यूटीएल के साथ पठित परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की 150वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार, 11 मई, 2007 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं।

सं. फा. 32/9/2007-सा. प्र वि./समन्वय/1712-1745.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की 150वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव के उपलक्ष्य में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार के अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों/स्थानीय/स्वायत्त निकायों में शुक्रवार, 11 मई, 2007 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

जे. जी. नन्दा, उप-सचिव

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Coordination Branch)

NOTIFICATIONS

Delhi the 8th May, 2007

No. F. 32/9/2007/GAD/CN/1712—1745.—In exercise of the powers conferred by Section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (Act 26 of 1881) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. U-11030/2/73-UTL dated 28-6-73, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to declare Friday, the 11th May, 2007 to be a Public Holiday on account of Commemoration of 150th Anniversary of First War of India's Independence, 1857.

No. F. 32/9/2007/GAD/CN/1712—1745.—The Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to declare the 11th May, 2007 (Friday) to be a Public Holiday in all Government Offices, Local/ Autonomous Bodies under Government of National Capital Territory of Delhi on account of Commemoration of 150th Anniversary of First War of India's Independence, 1857.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi,

J. G. NANDA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.